रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 107] नई दिल्ली, बुधवार, मई 1, 1974/वैशाख 11, 1896
No. 107] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 1, 1974/VAISAKHA 11, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 1st May 1974

SUBJECT :—*Simplified procedure for processing of applications for licences under the Import Policy for Registered Exporters for the period April 1974—March 1975.*

No. 60-ITC(PN) 74.—A simplified procedure for processing of applications for import replenishment licences received from Registered Exporters was devised wih a view to reducing the overall time taken in the grant of import replenishment licences. The details of the procedure were announced under the late Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 83—ITC(PN)/72 dated the 14th June, 1972 and the Ministry of Commerce Public Notice No. 97-ITC(PN)/73 dated 13th June 1973. It has been decided that the said simplified procedure will continue for dealing with applications for import replenishment licences received during April 1974—March 1975, subject to certain modifications/liberalisations as indicated in this Public Notice.

2. The simplified procedure will apply only to those registered exporters who have been obtaining licences under the Import Policy for Registered Exporters against their exports in thei own name or in favour of their nominees, during the last three years, *viz.* 1971-72, 1972-73 and 1973-74.

3. The scheme is voluntary, Registered Exporters wishing to avail of this facility should enrol their names with the respective licensing authorities under whose jurisdiction they are situated for obtaining import replenishment licencesunder the policy for Registered Exporters. The form in which an application for enrolment should be made is given as Annexure I. The application for enrolment should be supported by a statement in the prescribed proforma (duly certified by a Chartered Accountant) indicating the f.o.b. value of exports made by the applicant in respect of products covered by the import policy for Registered Exporters, separately during the three years, *viz.* 1971-72, 1972-73 and 1973-74, and the total value of import licences obtained against these exports year-wise. If the applicant is found eligible to avail of the facility of the procedure outlined in this Public Notice, the licensing authority will allot to him an 'Enrolment Number', which should be quoted by the applicant at the top of each import application. Besides the Enrolment Number, the words "Application under Public Notice No. 60/74" should also be written in bold letters at the top of the application.

4. This scheme will apply to applications based on exports made on or after 1st April, 1974. It will not apply to the cases relating to ship repairing, sales to foreign tourists, exports of films and export of products the replenishment in respect of which is subject to "ceiling prices" indicated in the Red Book (Vol. II), such as the products covered by Product Group "L"—Woollen textiles, hosiery and mixed fabrics and "P. I.I."—Natural Silk Fabricks.

5. Subject to what has been stated in this Public Notice, the procedure for submission of import applications will be the same as normally applicable. Applications for import licences should be made in the prescribed form and manner as laid down under the import policy for Registered Exporters for the period April 1974—March 1975. Export documents to be furnished by the applicant in support of thei applications for licences will also be the same as prescribed in the import policy. Import application should, however, be supported by a certificate of a Chartered Accountant wherein the Chartered Accountant will be required to certify that all the particulars given in the statement of exports in the prescribed form as in Annexure VII in Section III of the Red Book (Vol. II) for the period April 1974—March 1975, are correct and have been checked by him with reference to the documents attached to the said statement of exports accompanying the import application. The Chartered Accountant will also be required to see whether the shipping bills bear the authentication of the customs and the invoices are duly attested by the banks concerned. The Chartered Accountant shall be required to arrange the export documents "consignment-wise" and list out the export documents checked by him, arrange them in a proper order, mark page numbers on them and indicate the particulars there of in the certificate. The proforma in which the Chartered Accountant should give the certificate appears in Annexure II. The certificate should be signed by the Chartered Accountant with his seal, registration number and full address. The Chartered Accountant should also sign the statement of exports as an evidence of having checked it. In the case of small scale units registered as manufacturers exporters, the certification by an officer of the State Directorate of Industries, not below the rank of Joint Director of Industries, will also be accepted, in lieu of the certificate by a Chartered Accountant.

6. The value of the import licence issued after processing the application under the simplified procedure shall be liable to be adjusted against the applicant's future import entitlements, if it is found, at any subsequent stage, that the applicant was not entitled to the said value, in full or in part, as the case may be under the import policy for Registered Exporters. The value of import licences issued to the nominee of the registered exporter or transfered on the request of the registered exporter in favour of the eligible Export Houses, shall also be adjusted against the import entitlements due to the registered exporter under the import policy for Registered Exporter under the import policy for Registered Exporters. The following declaration should be given by the applicant in the statement of exports referred to above :—

> "I(We hereby declare that the information given in this statement is correct, I/We also undertake that the value of the import licence granted on the basis of this statement and the documents attached thereto shall be liable to be set off against subsequent import licences due to me/us without prejudice to any other action that may be taken in this behalf in,case any part of the information contaled in this statement is found incorrect, false or misleading."

ANNEXURE I

To

Name & Address
of the concerned
licensing office.

SUBJECT :—*Enrolment under Public Notice No. 60—ITC(PN)/74 dated* 1-5-1974.

Dear Sir,

We wish to avail ourselves of the facility of the simplified procedure for processing of applications for licences under Public Notice referred to above.

The relevant particulars are given below:—

1. Name and address of the Registered Exporter.
2. Nature of the concern, whether public or private limited company, or partnership firm, a proprietory firm, an individual, HUF or body Association of individuals.
3. Whether the applicant has been obtaining REP licences against his exportes, in his own name or in favour of his nominees in respect of products covered by the RE Policy (Red Book-Vol. II) for April 1974—March 1975, during the 3 years, 1971-72, 1972-73 and 1973-74 (A statement in enclosed form should be attached).

2. It is requested that Enrolment Number may please be issued to us to enable us to submit our furture applications under the simplified procedure as laid down in the Public Notice referred to above.

3. We hereby solemnly declare that the above stated information is true and correct and we understand that our enrolment is liable to be cancelled in the event of any part of the above information being found to be incorrect.

Yours faithfully,

Statement of rep licences obtained during the last three years

Name of the Registered Exporter:—

Year	Product Group in which the exported goods fall	Total FOB Value of exports	CIF value of import licences obtained	
			In applicant's own name.	In the name of nominees
1971-72 . . .				
1972-73 . . .				
1973-74 . . .				

I/We hereby declare and affirm that the above information is correct and nothing has been concealed or withheld therefrom, and I/We shall be liable to any action that Government may take if this information is found to be incorrect.

Signature of the applicant.
Full name and address.

Certified that the above information is correct and has been checked by us with reference to the documents and records maintained by M/s.....

Signature of
Chartered Accountant.

Full Address
Registration No.

ANNEXURE II

Certificate of Chartered Accountant.

I/We do hereby certify that all the particulars furnished in the statement of exports have been checked from the export documents detailed in the enclosed list, and these are correct and complete. I/We also certify that all the shipping bills listed have been duly authenticated by the Customs authorities and all the invoices listed have been attested by the banks. I/We further certify that all the exports claimed have been made during the period.....

Signature & Seal of
Chartered Accountant
Regn./Membership No.....

Full address
.....

List of documents attached to the Statement of Exports dated.....of M/s.....
.....

S. No.	Name of the documents (shipping bill, invoice/bank certificate	No. and date of the document	Page No. at which the docuement is placed

Signature and Seal of Chartered Accountant.

Regn./Membership No.

Date :

Full address.....

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 1 मई, 1974

विषय.—अप्रैल 1974–मार्च, 1975 अवधि के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अधीन लाइसेन्सों के लिए आवेदन पत्रों पर कार्रवाई करने के लिए सरलीकृत क्रियाविधि ।

संख्या 60.—आई०टी०सी० (पी०एम०)।74—पंजीकृत निर्यातकों से प्राप्त आयात प्रतिपूर्ति लाइसेन्सों के लिए आवेदन पत्रों पर कार्रवाई करने के लिए आयात प्रतिपूर्ति लाइसेन्सों को जारी करने में लगने वाले समस्त समय को कम करने के विचार से एक सरलीकृत क्रियाविधि निकाली गई थी। क्रियाविधि के ब्योरे भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 83–आई० टी० सी० (पी० एन)/72 दिनांक 14 जून, 1972 और वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 97–आई०टी०सी० (पी०एन०)/73 दिनांक 13 जून, 1973 में आख्यापित किए गए थे। यह निश्चय किया गया है कि कथित सरलीकृत क्रियाविधि अप्रैल, 1974–मार्च, 1975 के दौरान प्राप्त आयात प्रतिपूर्ति लाइसेन्सों के लिए आवेदन पत्रों पर विचार करने के लिए भी इस सार्वजनिक सूचना में यथा निर्दिष्ट कुछ आशोधनों / उदारताओं के अधीन जारी रहेगी।

2. सरलीकृत क्रियाविधि केवल उन पंजीकृत निर्यातकों के लिए लागू होगी जो पिछले तीन वर्षों अर्थात 1971-72, 1972-73 और 1973-74 के दौरान अपने नाम में या अपने नामितों के लिए अपने निर्यातों के आधार पर पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अधीन लाइसेन्स प्राप्त करते रहे हैं।

3. यह योजना स्वैच्छिक है, इस सुविधा को उपलब्ध करने के लिए इच्छुक पंजीकृत निर्यातकों को अपने नाम उन संबन्धित लाइसेन्स प्राधिकारियों के पास लिखाने चाहिएं जिनके अधिकार क्षेत्र में वे पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अधीन आयात प्रतिपूर्ति लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए स्थित हैं। प्रपत्र जिसमें नाम लिखाने के लिए आवेदन पत्र देना चाहिए, वह अनुबन्ध–1 के रूप में दिया जाता है। नाम लिखाने के लिए आवेदन पत्र पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति में सम्मिलित उत्पादों के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा किए गए पिछले तीन वर्षों अर्थात 1971–72, 1972–73 या 1973–74 के दौरान अलग अलग निर्यातों के जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य और प्रतिवर्ष इन निर्यातों के आधार पर प्राप्त किए गए आयात लाइसेन्सों का कुल मूल्य निर्दिष्ट करते हुए निर्धारित प्रपत्र में एक विवरण पत्र (सनदी लेखापाल द्वारा विधिवत प्रमाणित) द्वारा समर्थित होना चाहिए। यदि इस सार्वजनिक सूचना में प्रस्तुत की गई क्रियाविधि की सुविधा को उपलब्ध करने के लिए आवेदक पात्र होगा तो लाइसेन्स प्राधिकारी उस को एक 'एनरोलमेन्ट नम्बर' देगा जो कि आवेदक को प्रत्येक आयात आवेदन पत्र के शीष पर उदधृत करना चाहिए। नाम दज संख्या के अतिरिक्त आवेदन-पत्र के ऊपरी सिरे पर साफ-अक्षरों में "सार्वजनिक सूचना संख्या : 60/74 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र" शब्द भी लिखे होने चाहिए।

4. यह योजना 1 अप्रैल, 1974 को या उसके बाद किए गए निर्यातों पर आधारित आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में लागू होगी। यह योजना जहाज मरम्मत, विदेशी पयटकों को की गई बिक्री

फिल्मों के निर्यात और उत्पादों के निर्यात जिसके सम्बन्ध में प्रतिपूर्ति रेड बुक (वा० 2) में संकेतित "उच्चतम सीमा मूल्य" के अधीन है, जैसे ऐसे उत्पाद जो उत्पाद वर्ग "एस" ऊनी वस्त्र, होजरी तथा मिश्रित वस्त्र और "पी० 1. 1"— प्राकृतिक रेशमी वस्त्र के अन्तर्गत आते हैं।

5. जिसके अधीन इस सार्वजनिक सूचना में आयात आवेदन-पत्रों के जमा करने के लिए जो प्रक्रिया बताई गई है वही उसी रूप में सामान्यतया लागू होगी। आयात लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्र अप्रैल, 1974—मार्च, 1975 अवधि के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत दिए गए के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में और विहित विधि से दिए जाने चाहिए। आवेदकों द्वारा लाइसेंसों के लिए उनके आवेदनपत्रों के समर्थन में भेजे जाने वाले निर्यात प्रलेख भी आयात नीति में निर्धारित किए गए के अनुसार ही होंगे। लेकिन, आयात आवेदन-पत्रों के साथ ऐसे सनदी लेखापाल का प्रमाणपत्र होना चाहिए जिसमें सनदी लेखापाल को यह प्रमाणित करना अपेक्षित होगा कि अप्रैल 1974–मार्च, 1975 अवधि के लिए—रेड बुक (वा० 2) के खंड 3 के अनुबन्ध 7 के रूप में निर्धारित प्रपत्र में निर्यातों के ब्यौरे में दिए गए सभी विवरण सही हैं और आयात आवेदन पत्र के साथ भेजे जा रहे निर्यातों के उक्त ब्यौरे के लिए संलग्न प्रलेखों के संदर्भ में उसके द्वारा जांच कर लिया गया है। सनदी लेखापाल को यह भी देखने की जरूरत होगी कि क्या जहाज लदान बिल में सीमाशुल्क का प्रमाणीकरण अंकित है और सम्बन्धित बैंकों द्वारा बीजक साक्ष्यांकित है। सनदी लेखापाल के लिए यह जरूरी होगा कि निर्यात प्रलेखों की "प्रेषण वार" व्यवस्था करेगा तथा उसके द्वारा जांच किए गए निर्यात प्रलेखों की सूची निकालने की व्यवस्था करेगा, उन्हें सही ढंग से व्यवस्थित करेगा उन पर पृष्ठवार संख्या लगाएगा और प्रमाण-पत्र में उनके विवरणों का संकेत करेगा। जिस प्रपत्र में सनदी लेखापाल को प्रमाण-पत्र देना चाहिए उसे अनुबन्ध 2 में दिया गया है। सनदी लेखापाल द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र उस की मुहर, पंजीकरण संख्या तथा पूरा पता होने चाहिए। सनदी लेखापाल को निर्यातों के ब्यौरे पर भी हस्ताक्षर करना चाहिए और यह इस साक्ष्यांकन में कि उसने उनकी जांच करली है। विनिर्माणकर्त्ता निर्यातकों के रूप में पंजीकृत लघु पैमाना एकक के मामले में राज्य उद्योग निदेशालय के एक अधिकारी जिसका पद संयुक्त उद्योग निदेशक से नीचा न हो, के द्वारा प्रमाणीकरण भी सनदी लेखापाल के प्रमाणपत्र के बदले में स्वीकार किया जाएगा।

6. सरल प्रक्रिया के अन्तर्गत आवेदन पत्रों का उपयोगीकरण करने के बाद जारी किए गए आयात लाइसेंस का मूल्य आवेदक के भविष्य की आयात हकदारी के मद्दे समायोजित करने के योग्य होगा, यदि किसी अनुवर्ती स्थिति में यह पाया जाता है कि पंजीकृत निर्यातक आयात नीति के अन्तर्गत आयातक उक्त मूल्य के लिए पूर्ण रूप में या आंशिक रूप में, जैसा भी मामला हो, अधिकारी नहीं था। पंजीकृत निर्यातक के मनोनीत को जारी किए गए आयात लाइसेंस के मूल्य या पंजीकृत निर्यातक के अनुरोध पर उपयुक्त निर्यात सदनों के नाम में स्थानान्तरित मूल्य को भी पंजीकृत निर्यातक नीति के अन्तर्गत पंजीकृत निर्यातक के लिए बाकी आयात हकदारी के मद्दे समायोजित किया जाएगा। उपर्युक्त उल्लिखित निर्यातों के ब्यौरे में निम्नलिखित आख्यापन आवेदक द्वारा दिया जाना चाहिए :—

> "मैं / हम एतद द्वारा यह घोषणा करते हैं कि इस ब्यौरे में जो भी सूचना दी गई है, सही है। मैं / हम यह भी वचन देते हैं कि इस ब्यौरे के आधार पर जारी किए गए आयात लाइसेंस का मूल्य और उसके लिए संलग्न किए गए प्रलेख का समायोजन मेरे / हमारे पर बाकी अनुवर्ती आयात लाइसेंसों के मद्दे किया जाएगा और इस ब्यौरे में शामिल सूचना के किसी भाग में गलत, मिथ्या या गुमराह करने वाली सूचना पाई जाती है तो इस सम्बन्ध में की गई कोई अन्य कार्रवाई बिना किसी पक्षपात के लागू होगी।"

अनुबन्ध-1

सेवा में,

सम्बद्ध लाइसेन्स—कार्यालय
का नाम और पता

विषय :—सार्वजनिक सूचना सं० 60—आई० टी० सी० (पी०एन०)/74 दिनांक 1-5-1974 के अधीन पंजीकरण ।

प्रिय महोदय,

हम उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना के अधीन लाइसेन्सों के लिए आवेदन पत्रों पर कार्रवाई करने के लिए सरलीकृत क्रियाविधि की सुविधा को उपलब्ध करना चाहते हैं । प्रासंगिक ब्यौरे नीचे दिए जाते हैं :—

1. पंजीकृत निर्यातक का नाम और पता।

2. आवेदक संस्था का स्वरूप, क्या सरकारी या निजी लिमिटेड कम्पनी, या साझेदारी फर्म, एक स्वामित्व फर्म , एक व्यक्तिगत, हिन्दू संयुक्त परिवार या निकाय/व्यक्तियों का संघ है ।

3. क्या आवेदक अप्रैल, 1971—मार्च, 1975 के लिए पंजीकृत निर्यातक नीति (रेड बुक खं० 2) में सम्मिलित उत्पादों के सम्बन्ध में तीन वर्षों, 1971-72 1972-73, 1973-74 के दौरान अपने नाम में अथवा अपने नामितों के पक्ष में अपने निर्यातों के आधार पर आर ई पी लाइसेन्स प्राप्त करता रहा है । संलग्न प्रपत्र में एक विवरणिका लगानी चाहिए ।

2. यह आवेदन किया जाता है कि उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना यथा निर्धारित सरलीकृत क्रियाविधि के अधीन भविष्य में अपने आवेदनपत्र प्रस्तुत करने में हमें समर्थ बनाने के लिए कृपया हमें एनरोलमेन्ट नम्बर जारी किया जाए ।

3. हम एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषित करते हैं कि ऊपर उल्लिखित सूचना सत्य और सही है और हमें ज्ञात है कि उपर्युक्त सूचना का कोई भी अंश गलत पाया जाने पर हमारा पंजीकरण रद्द किया जा सकता है ।

भवदीय

गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त किए गए आर०ई०पी० लाइसेंसों के विवरण

पंजीकृत निर्यातक का नाम

वर्ष	उत्पाद वर्ग जिसके अन्तर्गत निर्यातित माल आता है।	निर्यात का कुल जहाज पर निशुल्क मूल्य		प्राप्त किए गए लाइसेंस का लागत बीमा भाड़ा मूल्य
		आवेदक के नाम में	नामित के नाम में	
1971-72				
1972-73				
1973-74				

मैं / हम एतद्द्वारा इस बात की घोषणा तथा पुष्टि करते हैं कि उपर्युक्त सूचना सही है और उसमें कुछ भी छिपाया अथवा रोक रखा नहीं गया है और मैं / हम इस सूचना के सही न माने जाने की स्थिति में सरकार द्वारा की जाने वाली किसी भी कारवाई के लिए जिम्मेदार ठहराए जाएंगे।

आवेदक के पूरे हस्ताक्षर
पूरा नाम और पता

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना सही है और सर्वश्री ———— द्वारा रखे गये दस्तावेज तथा रिकार्ड के संदर्भ में जांच पड़ताल करली गई है।

मनदी लेखापाल के हस्ताक्षर,
पूरा पता
पंजीकरण संख्या ।

अनुबन्ध-2

सनदी लेखापाल का प्रमाणपत्र

मैं / हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि निर्यात के विवरण में दिए गए सभी ब्योरों की संलग्न सूची में विस्तृत निर्यात दस्तावेजों से जांच पड़ताल करली गई है और सही तथा पूर्ण है । मैं /हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि सूचीतबद्ध सभी पोतलदान बिल सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणिकृत है और सूचीबद्ध सभी बीजक, बैंक द्वारा साक्ष्यांकित किए गए हैं ।

सनदी लेखापालों के हस्ताक्षर तथा मुहर
पंजीकरण / सदस्यता संख्या सं.
पूरा नाम

सर्वश्री ——————————————————के निर्यात के विवरण दिनांक ——————————के लिए संलग्न दस्तावेजों की सूची :—

क्रम संख्या	दस्तावेजों के नाम (पोतलदान बिल (बीजक/बैंक प्रमाणपत्र)	दस्तावेज की सं० तथा दिनांक	जहां दस्तावेज रखा गया है उसकी पृष्ठ संख्या

सनदी लेखापाल के हस्ताक्षर तथा मोहर
पंजीकरण / सदस्यता संख्या
पूरा पता

एस० जी० बोस मल्लिक।
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974